NBSA
NEWS BROADCASTING STANDARDS AUTHORITY

न्यूज़ ब्राडकास्टर्स एसोसिएशन (एन बी ए)
घटनाओं की रिपोर्टिंग करने के संबंध में विशिष्ट दिशा निर्देश

न्यूज़ ब्राडकास्टर्स एसोसिएशन (एन बी ए) अपनी आचार संहिता एवं प्रसारण मानकों में निहित आत्मनियमन के सिद्वांतों के अनुरूप निम्नलिखित दिशानिर्देश एवं विशिष्ट मानदंड जारी करता है जिनका पालन सदस्य ब्राडकास्टर्स द्वारा किया जाना है।

मूलभूत मानक

सभी खबरों की रिपोर्टिंग निम्नलिखित मानदंडों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए :

क. खबरों की सभी रिपोर्टिंग ''जनहित'' में होनी चाहिये।

ख. रिपोर्टिंग ऐसी होनी चाहिये जिससे सनसनी अथवा दर्शकों में बेवजह डर, घबराहट या चिंता नहीं फैले।

ग. प्रसारित की जाने वाली 'सामग्रियों' को 'संदर्भ' से परे नहीं होना चाहिये।

घ. भय, अलौकिक शक्ति, अंधविश्वास, तंत्र–मंत्र एवं जादू–टोने, झाड़–फूंक, चमत्कारिक सिद्धि या ईश्वरत्व की प्राप्ति और परलौकिक बातों को बढ़ावा देने वाले विषयों से परहेज करना चाहिये।

ड. ब्राडकास्टर्स को किसी नस्ली या धार्मिक समूह की गतिविधियों, मान्यताओं, प्रथाओं अथवा विचारों को प्रसारित करने के मामले में सावधानी एवं निष्पक्षता बरतनी चाहिये, ताकि किसी पर उनका नकारात्मक प्रभाव न पड़े ।

च. घटनाओं का ''नाट्य रूपांतरण'' (रिकंस्ट्रक्शन) दिखाये जाने पर इसे स्पष्ट रूप से 'नाट्य रूपांतर' लिखा जाना चाहिये और यह दिशानिर्देशों के अनुसार ही होना चाहिये।

छ. ब्राडकास्टर्स को वैसी अनुचित या अस्वास्थ्यकर प्रतिस्पर्धा करने से बचना चाहिये जिससे ब्राडकास्टिंग स्तर में गिरावट आने का खतरा हो ।

1. तथ्यात्मकता

1.1 अगर संभव हो तो एक सूचना एक स्रोत से अधिक स्रोतों से प्रत्यक्ष या सीधे तौर पर हासिल कर उसकी पुष्टि की जानी चाहिये।

1.2 संवाद समितियों से प्राप्त रिपोर्टों के मामले में एजेंसी का उल्लेख करना चाहिये और संभव होने पर समाचारों की पुष्टि अपने स्तर पर भी कर लेनी चाहिए ।

1.3 आरोपों को ठीक उसी तरह से रिपोर्ट किया जाना चाहिये जिस तरह से वे लगाये गये हों।

1.4 पुरानी फुटेज (आर्काइवल सामग्री) का इस्तेमाल करते समय उस पर स्पष्ट रूप से ''फाइल'' लिखा जाना चाहिये और उसके साथ उसके मूल प्रसारण की तिथि एवं समय का भी उल्लेख यथासंभव किया जाना चाहिये।

1.5 कोई तथ्यात्मक गलती होने पर जल्द से जल्द उसका सुधार किया जाना चाहिये तथा सही किये गये तथ्य/तथ्यों को प्रमुखता से प्रसारित किया जाना चाहिये।

1.6 तथ्यों को विचारों, विश्लेषणों एवं टिप्पणियों के साथ मिलाना नहीं चाहिये बल्कि उन्हें अलग से स्पष्ट रूप से दिखाना चाहिये।

2. निष्पक्षता, तटस्थता और स्पष्टता

2.1 संतुलित रिपोर्टिंग के लिये ब्राडकास्टर्स को निष्पक्ष रहना चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उनकी रिपोर्टिंग में खासकर विवादास्पद विषयों के मामले में, किसी खास विचार को अतिरिक्त महत्व दिये बगैर विभिन्न पक्षों के विचारों को शामिल किया जाये ।

2.2 सामग्रियों के संपादन के दौरान ब्राडकास्टर्स को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि तथ्यों तथा रिपोर्ट की जा रही घटनाओं अथवा व्यक्त किये गये विचारों में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाये।

2.3 ब्राडकास्टर्स को अनुचित तरीके से अथवा धोखे से प्राप्त की गयी सूचना अथवा तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिये। (स्टिंग आपरेशन से संबंधित दिशानिर्देशों के लिये अलग से नीचे दिये गये भाग को देखें)

3. कानून और व्यवस्था, अपराध और हिंसा

3.1 प्रसारित की जाने वाली सामग्री के जरिये अपराध को न तो महिमामंडित किया जाना चाहिये अथवा न ही उसे सनसनीखेज बनाया जाना चाहिये। साथ ही उस सामग्री का प्रसारण इस प्रकार किया जाये, जिससे आत्महत्या सहित तमाम आपराधिक कृत्यों को किसी प्रकार की स्वीकार्यता न मिल सके।

3.2 प्रसारित की जाने वाली सामग्री में अपराध खास कर आतंकवाद और आत्महत्या की उन तकनीकों का वर्णन नहीं किया जाना चाहिये जिनकी नकल की जा सकती है।

3.3 अपराध से संबंधित मामलों की रिपोर्टिंग पूर्वग्रह युक्त नहीं होनी चाहिए और न ही अपनी ओर से कोई निष्कर्ष निकाले जाने चाहिए, खास कर तब, जब मामला न्यायालय के अधीन हो।

3.4 किसी अभियुक्त या गवाह के पक्ष का इस प्रकार प्रचार नहीं किया जाना चाहिये जिससे न्याय प्रक्रिया में हस्तक्षेप हो सकता हो अथवा निष्पक्ष सुनवाई में बाधा उत्पन्न होती हो ।

3.5 यौन अपराधों और महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ हिंसा के मामले में पीड़ितों की पहचान उजागर नहीं की जानी चाहिये।

3.6 मृत व्यक्तियों को सम्मान दिया जाना चाहिये। मृतकों या क्षत–विक्षत शवों के बहुत निकट से लिये गये चित्र (क्लोजअप) नहीं दिखाये जाने चाहिये।

3.7 हिंसा की घटनाओं को सिर्फ हिंसा दिखाने, किसी भी प्रकार उसे बढ़ावा देने, पर–पीड़ा और विकृत मानसिकता के प्रचार के लिए नहीं दिखाना चाहिए। ऐसी घटनाएं जिनमें बहुत अधिक हिंसा हो, ऐसे व्यक्ति, जिनके साथ बर्बर व्यवहार किया जा रहा हो, क्रूरता की जा रही हो, जिनकी हत्या की जा रही हो, उनकी तस्वीरें निकट से (क्लोज़ अप) दिखाने से बचना चाहिए।

3.8 ब्राडकास्टर्स को किसी भी तरह से उन व्यक्तियों, समूहों अथवा संगठनों को गौरवान्वित या प्रचारित नहीं करना चाहिये जो हिंसा करते हैं अथवा हिंसा की वकालत करते हैं अथवा जो आपराधिक/घृणास्पद गतिविधियों में शामिल हैं। गुंडागर्दी, उपद्रव अथवा अपराध के अन्य कामों को इस तरह से नहीं दिखाया जाना चाहिये, जिससे उसके पक्ष का समर्थन होता प्रतीत हो।

3.9 वरिष्ठ संपादकीय कर्मी द्वारा जांच–पड़ताल के बगैर संवदेनशील और विचलित करने वाली सामग्रियों का लाइव प्रसारण नहीं किया जाना चाहिये।

4. सामाजिक शालीनता, सेक्स एवं नग्नता

4.1 ब्राडकास्टर्स को ध्यान रखना चाहिए कि वह किस समय किस तरह की सामग्री प्रसारित कर रहे हैं और सामान्य तौर पर ब्राडकास्ट सामग्री का चुनाव करते समय सामाजिक आचार, मर्यादाओं और मानदंडों का पालन करना चाहिए । किस प्रकार की सामग्री किस प्रकार के दर्शकों के लिए उचित है और किन दर्शकों के लिए अनुचित, इसका ध्यान रखते हुए प्रसारण का समय तय करना चाहिए, साथ ही इसी के अनुरूप प्रसारण की विषय वस्तु, भाषा और तस्वीरों का चुनाव किया जाना चाहिए ।

4.2 वैसी सामग्री से परहेज किया जाना चाहिये जिसमें हिंसा अथवा सेक्स संबंधी सामग्री हो, जिसमें अपरिपक्व, आक्रामक अथवा अभद्र भाषा अथवा ऐसी अन्य सामग्री का इस्तेमाल किया गया हो जिससे विवेकशील वयस्क भी विचलित हो सकता है या आहत महसूस कर सकता है ।

4.3 यौन अपराधों और यौन शोषण, खास तौर पर बच्चों के साथ होने वाले ऐसे शोषण से संबंधित समाचारों के संबंध में अत्यधिक सावधानी एवं संवेदनशीलता बरतनी चाहिये।

4.4 उत्तेजना पैदा करने वाली हिंसा एवं कामुकता से युक्त सामग्री नहीं दिखायी जानी चाहिये।

4.5 आतंकवादी हमले, हत्या तथा दंडात्मक कार्रवाई के तहत किसी के मारे जाने की घटनाओं को स्पष्ट रूप से और विस्तार से नहीं दिखाया जाना चाहिए ।

5. निजता

5.1 ब्राडकास्टर्स को त्रासदपूर्ण स्थितियों, पीड़ा और शोक आदि की रिपोर्टिंग के मामले में विवेक एवं संवेदनशीलता का इस्तमेमाल करना चाहिये।

5.2 किसी सामग्री में किसी व्यक्ति या समुदाय को इस तरह नहीं दिखाया जाना चाहिये जो नस्ल, उम्र, विकलांगता, सेक्स, सेक्स संबंधी प्रवृतियों, पेशे, धर्म, संस्कृति अथवा राजनीतिक मान्यताओं के कारण उसे समाज से अलग थलग करता हो या उनकी सामाजिक छवि को मलिन करता हो ।

5.3 वैसी सामग्री, और वैसी पुरानी तस्वीरें (आर्काइवल फुटेज) नहीं प्रसारित की जानी चाहिये जिससे मृत व्यक्ति के जीवित बचे परिजनों को अनुचित पीड़ा पहुंचे।

5.4 संबंधित व्यक्ति की अनुमति के बगैर किसी व्यक्ति के घर अथवा परिवार के पते से संबंधित किसी भी सूचना को उजागर नहीं किया जाना चाहिये।

5.5 किसी व्यक्ति या किसी घटना की गुप्त तरीके से रेकार्डिंग केवल तभी करनी चाहिये जब ऐसा करना न्याय विरुद्ध नहीं हो और संपादकीय दृष्टि से ऐसा करना जायज हो।

5.6 घायलों, हताहतों और पीड़ित व्यक्तियों के साक्षात्कार केवल तभी लिये जाने चाहिये जब वे व्यक्ति अथवा उनके अभिभावक इसके लिए सहमत हों ।

6. राष्ट्रीय सुरक्षा

6.1 ब्राडकास्टर्स को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अभियानों/कार्रवाइयों के बारे में गोपनीय सूचनाओं का खुलासा नहीं करना चाहिये।

6.2 ब्राडकास्टर्स को देश के खिलाफ गंभीर अपराध करने वाले आतंकवादियों और षडयंत्रकारियों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले तरीकों के बारे में की जाने वाली रिपोर्टिंग के दौरान विवेक का इस्तेमाल करना चाहिये।

6.3 आतंकवादियों/षडयंत्रकारियों के साक्षात्कार का लाइव प्रसारण नहीं किया जाना चाहिये।

6.4 किसी आतंकवादी घटना या ऐसी अन्य बड़ी हिंसक घटनाओं के दौरान इस प्रकार रिपोर्टिंग नहीं की जानी चाहिए, जिससे जनता का विश्वास उन संस्थाओं पर से उठता हो, जिन पर जनता की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी है ।

6.5 ब्राडकास्टर्स को सुरक्षा बलों के अभियानों से संबंधित तकनीकी ब्यौरे, सुरक्षा एजेंसियों के अभियानों एवं उनकी रणनीतियों से संबंधित सूचनाएं उजागर नहीं करनी चाहिये क्योंकि ऐसा करने से षडयंत्रकारियों को लाभ मिल सकता है।

7. अलौकिक, तंत्र–मंत्र एवं परलौकिक

7.1 भय, अलौकिक शक्ति, अंधविश्वास, तंत्र–मंत्र, जादू–टोने, भूत भगाने और दैवी शक्तियों, सिद्धियों, ईश्वरत्व प्राप्त होने के दावों और परलौकिक विषयों आदि को बढ़ावा देने वाली वैसी सामग्रियां प्रसारित नहीं करनी चाहिये जिनसे बच्चों में डर पैदा हो सकता है।

7.2 अंधविश्वास, जादू–टोने, भूत भगाने, दैवी शक्तियों और परलौकिक रहस्यों आदि से संबंधित मान्यताओं को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिये।

8. बाल हित

8.1 ब्राडकास्टर्स को ऐसे समय पर जब बच्चे आम तौर पर टेलीविजन देखते हैं, वैसी सामग्रियों का प्रसारण नहीं करना चाहिये जिनसे बच्चे विचलित या भयभीत हो जायें अथवा उनके मनोविज्ञान पर हानिकारक असर पड़े।

8.2 अन्य समय पर ऐसी सामग्रियों का प्रसारण करने पर ब्राडकास्टर्स को माता–पिता के लिये समुचित सलाह, चेतावनियों एवं विषय के प्रकार (वर्गीकरण) का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिये। समाज विरोधी व्यवहार, घरेलू झगड़े, मादक द्रव्यों के सेवन, धूम्रपान, शराब सेवन, हिंसा, बुराइयों अथवा भयावह दृश्यों, यौन विषयों , अपरिपक्व, आक्रामक या भद्दी भाषा अथवा वैसी अन्य सामग्री नहीं दिखानी चाहिये जिससे बच्चे विचलित हो सकते हैं, भयभीत हो सकते हैं या उनके मनोविज्ञान पर गहरा असर पड़ सकता है या उन्हें मानसिक सदमा पहुंच सकता है।

9. नस्ली एवं धार्मिक सद्भाव

9.1 नस्ली एवं धार्मिक कठमुल्लापन से जुड़ी सामग्रियों से बचना चाहिये।

9.2 ऐसे विषयों की रिपोर्टिंग में अत्यन्त सावधानी बरती जानी चाहिए, जिनसे किसी नस्ल या धार्मिक समूह की संवेदनाओं को ठेस पहुंच सकती हो, उनकी छवि मलिन हो सकती हो या उससे धार्मिक असहिष्णुता या वैमनस्य फैल सकता हो।

10. स्टिंग आपरेशन

10.1 स्टिंग आपरेशन ''जनहित'' में केवल तभी किये जाने चाहिये जब जरूरी सूचना को हासिल करने के लिये कोई अन्य रास्ता नहीं हो तथा यह कोई गैरकानूनी तरीका अपनाये बगैर, किसी को प्रलोभन दिये बगैर किया जाना चाहिए और इस दौरान निजता के वैधानिक अधिकारों का ध्यान रखा जाना चाहिये।

10.2 ब्राडकास्टर्स को केवल तभी स्टिंग आपरेशन का सहारा लेना चाहिये जब ऐसा करना संपादकीय दृष्टि से उचित हो तथा किसी गलत काम को और खास तौर पर सार्वजनिक जीवन से जुडे व्यक्तियों की सच्चाई को उजागर करना हो।

10.3 कोई भी स्टिंग आपरेशन संपादकीय प्रमुख की सहमति लेकर ही किया जाना चाहिये और ब्राडकास्टिंग कम्पनी के प्रबंध निदेशक अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी सभी स्टिंग आपरेशन के बारे में पूर्व सूचित किया जाना चाहिये।

10.4 स्टिंग आपरेशन किसी अपराध के संबंध में सबूत जुटाने के लिये किया जाना चाहिये न कि किसी को प्रलोभन देकर 'अपराध करने' के लिए उकसाया जाये ।

10 फरवरी, 2009